रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 408] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 1987/श्रावण 19, 1909
No. 408] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 1987/SRAVANA 19, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1987

अधिसूचना

सा०का०नि० 696(अ) :— केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सचिव, पर्यावरण विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली, को जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है और भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 895(अ) तारीख 6 दिसम्बर, 1985 का निम्न रूप में संशोधन करती है :

उक्त अधिसूचना में—

(i) क्रम सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. सचिव,
पर्यावरण विभाग,
दिल्ली प्रशासन,
दिल्ली।";

(ii) क्रम सं० 10 से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[सं० क्यू. 15014/9/83–सी पी डब्ल्यू]
ए० सी० राय, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

(Department of Environment, Forests & Wildlife)

New Delhi, the 7th August, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 696(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Government hereby nominates the Secretary, Department of Environment, Delhi Administration, Delhi as a member of the Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution and amends the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment No. G.S.R. 895(E), dated the 6th December, 1985 as follows :

In the said Notification,

(i) for serial number 4 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :

"4. Secretary,
Department of Environment,
Delhi Administration,
Delhi.";

(ii) entries relating to serial number 10 shall be omitted.

[No. Q. 15014/9/83-CPW]
A. C. RAY, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987